

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

—:: आदेश ::—

क्रमांक / १७५५ / अजिद / एस.डब्ल्यू / २०२०

बलौदाबाजार, दिनांक ०२.०८.२०२०

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्षण को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र (बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा, बिलाईगढ़, भटगांव) में कार्यालयीन आदेश क्रमांक १७०३ / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / २०२० बलौदाबाजार दिनांक २८.०७.२०२० की कंडिका A(i) के द्वारा— किराना, राखी, सेवईयां, मिठाई, दूध, फल, सब्जी, अंडे की दुकान, ब्रेड, चिकन, मटन, के विक्रय एवं परिवहन की गतिविधियां, फेट्रा शॉप / एक्यूरियम, पशु आहार, कीटनाशक एवं खाद की दुकानों को दिनांक २९ एवं ३० जुलाई २०२० तथा कार्यालयीन आदेश दिनांक ३०.०७.२०२० के द्वारा दिनांक ३१ जुलाई एवं ०१ अगस्त २०२० को प्रातः ८.०० बजे से दोपहर १२.०० बजे तक किराना, राखी, सेवईयां, मिठाई के विक्रय एवं परिवहन की गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए किराना, राखी, मिठाई के विक्रय एवं परिवहन की गतिविधियों को दिनांक ०३ अगस्त २०२० को प्रातः ८.०० बजे से दोपहर १२.०० बजे तक संचालन की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



पृ. क्रमांक / १७५५ / अजिद / एस.डब्ल्यू / २०२०

(सुनील कुमार जौनी) L.A.S
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा
बलौदाबाजार, दिनांक ०२.०८.२०२०

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, गंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, गंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रवंधन विभाग, गंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रवास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
7. वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिला पंचायत, सभी जनपद पंचायत एवं सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चर्चा कराई जावे।
9. अतिजिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. कार्यपालन अधियंता, लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चर्चा कराई जावे।

12. तहसीलदार/ कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला वलौदावाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चरणा कराई जावे।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत वलौदावाजार/भाटापारा/सिमगा/विलाईगढ़/कसड़ोल को सूचनार्थ, अपने कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चरणा कराने एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी, (समस्त) वलौदावाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. रार्व विभाग प्रमुख, जिला वलौदावाजार-भाटापारा, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. राहायक संचालक एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, वलौदावाजार-भाटापारा, को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय रतार सो, सोशल मिडिया के गाइयग, प्ररारित किये जाने हेतु अग्रेषित।
17. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, वलौदावाजार-भाटापारा, की || ओर इस आदेश की एक प्रति रकैन कर, जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

03-06

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
वलौदावाजार-भाटापारा